PWD2-BUD/ANBU/46/2023-III-2-Public Works Department

/161004/2023

ई फाईल संख्या-**58555**

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Chief Engineer (Planning)
P.W.D., Dehradun

लोक निर्माण अनुभाग-**2** देहरादूनः दिनांक 19 अक्टूबर,**2023**

विषयः वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-कालाढूंगी में 13 निर्माण कार्यों (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0 लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा निम्नांकित तालिका में वर्णित कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनके अंतर्गत सड़क मार्गों की कुल लम्बाई 14.055 कि०मी० एवं लागत ₹528.19 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹528.19 लाख (₹पांच करोड़ अट्ठाईस लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए,चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात 13 कार्यो हेतु कुल ₹1.30 लाख (₹ एक लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के चांदनी चौक घुड़दौड़ा कालीपार में रविन्द्र कुमार, स्व0 जगदीश चन्द्र एवं मनोज कुमार के मार्ग का पी0सी0 द्वारा नवनिर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.660	32.05	0.10
2.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के देवलचौड़ में शिव दुर्गा विहार एवं कोरंगा विहार के मार्गो का पी0सी0 द्वारा नवनिर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.560	27.69	0.10
3.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के पाण्डे निवाड़ में श्री नन्दन सिंह बिष्ट के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.500	27.28	0.10
4.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के ग्राम गुसाईपुर में केशर सिंह भण्डारी एवं हरिपुर रतनुपर फुटकुआं टयूवैल के निकट ललित दानी राजेन्द्र देवपा के मार्गो का पी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.590	30.16	0.10

5.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के बजूनियाहल्दू कठघरिया में कोणार्क कालोनी, नन्दपुर में विरेन्द्र सिंह, पनियाली में दूनागिरी कालोनी एवं नीम करोली महाराज कालोनी के आन्तरिक मार्गों का पी0सी0 द्वारा डामरीकरण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.870	46.36	0.10
6.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के ब्लॉक कालाढुंगी के शिव विहार फेज 2 गली नं0 3ए मटियाली एवं कमलुवागांजा मेहता के बृजवासी स्कूल के बगल वाली आंतरिक मार्गों का पी0सी0 द्वारा नवनिर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.700	49.58	0.10
7.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के करायल चतुर सिंह के राजारानी विहार में माधव अपार्टमेंट एवं छड़ायल नयाबाद में शिव पार्वती विहार के आंतरिक मार्गों का पी0सी0 द्वारा डामरीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.800	42.63	0.10
8.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के पनियाली देवाशीष बैंकट हॉल वाली एवं वार्ड नं0-46 में बिठौरिया के हर्ष विहार के आंतरिक मार्गों का पी0सी0 द्वारा नवनिर्माण /डामरीकरण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.750	59.89	0.10
9.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुंगी में विकासखण्ड कोटाबाग में हस्तनवाड से इंटर कालेज तक मार्ग का निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	1.500	33.47	0.10
10.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी में रूड़की आंवलाकोट मार्ग के गुरूड़ी नाले से सेलसिया मार्ग के खेडा तक पी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	2.700	37.80	0.10
11.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के विकासखण्ड कोटाबाग में धमोला से लदुबागाड़,कनकपुर में आत्मा सिंह के घर तक व बन्द्रजूड़ा मल्ला में प्राईमरी स्कूल तक मार्ग का पी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन)।	3.050	44.14	0.10
12.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के नाथपुर पाडली में भुवन जोशी आदि की सड़क एवं देव कालोनी, देवपुर देवका, कमलुवागांजा की	0.650	48.65	0.10

	सड़क तक मार्गों का पी0सी0 द्वारा नवनिर्माण कार्य (विसतृत आगणन)।			
13.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-कालाढुंगी के जयपुर पाडली में श्री नवीन सिंह पडलिया के घर तक, ग्राम खुशालपुर लामाचौड़ ग्राम के मुख्य मार्ग में धरम सिंह लमगडि़या के घर विरेन्द्र राजवार के घर क एवं बच्चीनगर नं0 1 में शिवालिक एन्क्लेव कालोनी के आंतरिक मार्गों का पी0सी0 द्वारा नवनिर्माण/डामरीकरण कार्य (विस्तृत आगणन)।	0.725	48.49	0.10
	योग-	**14.055**	**528.19**	**1.30**

(₹ एक लाख तीस हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन रहेंगी:-

i. नगर निगम/ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित नगर निगम/ग्राम पंचायत से MoU करा लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

ii. विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iii. कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

iv. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

v. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

vi. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

vii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

viii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

ix. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

x. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

2023

xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xiii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/160895/2023,दिनांक 11 अक्टूबर ,2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 11-10-2023 18:51:29

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षे0कार्या0, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो.नि.वि., नैनीताल।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., हल्द्वानी।
10. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/161004/2023
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23100220034
आवंटन पत्र दिनांक-18-OCT-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय — 04-जिला तथा अन्य सड़के

337-सडक निर्माण कार्य — 03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित) — Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	6050000	130000	0	6180000
योग	6050000	130000	0	6180000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,30,000 (Rupees One Lac Thirty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd
E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 1231 /20 याता0'क' / 2023 दिनांक- 27 .10.2023

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक / बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून